न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, पटना सिटी

T.S-166/2013 (C.I.S. No.-166/13)

Date	Order	Remarks
11-12-19	वादी की ओर से हाजरी, फेहरिस्त के साथ मूल कागजात तथा एक आवेदन–पत्र दाखिल किया गया है। वादी की ओर से अतिरिक्त प्रति के साथ संशोधन आवेदन–पत्र दाखिल किया गया । वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी अपने दाखिल संशोधन आवेदन–पत्र को संचालित कर निवेदन करते हैं कि वाद–पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाय, क्योंकि संशोधन आवेदन–पत्र साधारण प्रकृति का है। सुनी। अभिलेख का अवलोकन की। अवलोकन से विदित होता है कि वादी की ओर से संशोधन आवेदन–पत्र अतिरिक्त प्रति के साथ दाखिल किया गया है तथा वाद में वादी का साक्ष्य चल रहा है। उक्त वाद में प्रतिवादी की ओर से पैरवी नहीं कर रहे हैं। वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन–पत्र साधारण प्रकृति का है। वाद–पत्र में संशोधन से वाद के मूल प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा आवेदन–पत्र शपथ युक्त है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन–पत्र न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को आदेशित किया जाता है कि आवेदनानुसार वाद–पत्र में आवश्यक संशोधन करें। वाद दिनांक–17.12.19 को वादी के साक्ष्य हेतु। आज्ञापित अवर न्यायाधीश, प्रथम	